एएफआर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
एम.ए. क्रमांक- 99/2019
04.10.2021 को आरक्षित
25.10.2021 को सुनाया किया गया

- सती बाई निषाद बेवा स्व० भीखम प्रसाद उम्र लगभग 34 वर्ष निवासी मकान नं.- 330, वार्ड नंबर-15, बनबरद अहिवारा, तहसील धमधा, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

----अपीलकर्ता

बनाम

1. संतोष केसरी आ० स्व० सरजू प्रसाद गुप्ता उम्र लगभग 38 वर्ष निवासी शादापारा, किशन चौक, दुर्गा मंदिर के सामने, कैंप-2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।
2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- कलेक्टर, दुर्ग जिला- दुर्ग छत्तीसगढ़.

---- प्रतिवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

अपीलार्थी की ओर से:	श्री गणेश बर्मन, अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से:	श्रीमती अदिति सिंघवी अग्रवाल, अधिवक्ता।
राज्य/प्रतिवादी क्रमांक 2 की ओर से:	श्री संजीव कुमार अग्रवाल, पी.एल.

.....

एकल पीठ:माननीय श्री संजय एस. अग्रवाल, जे.
सीएवी निर्णय/आदेश

1. यह अपील आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो कि मूल प्रतिवादी क्रमांक 1 - भीखम प्रसाद की विधवा है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे आगे 'सीपीसी' कहा जाएगा) के आदेश 43 नियम 1(डी) के तहत एम.जे.सी. क्रमांक- 167/2019 में चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दुर्ग (सी.जी.) द्वारा पारित दिनांक 16.08.2019 के आदेश की वैधता और औचित्य पर सवाल उठाया गया है, जिसके तहत विद्वान न्यायालय ने

सिविल वाद क्रमांक- 56-ए/2014 में पारित दिनांक 31.03.2016 के एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जबकि सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया है। इस अपील के पक्षकारों को उनके विवरण के अनुसार निम्न न्यायालय के अनुसार संबोधित किया जाएगा।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 के तहत दायर आवेदन को खारिज करने वाले निचले न्यायालय का निष्कर्ष यह मानते हुए कि आवेदक 05.11.2015 को अपने पति की अनुपस्थिति के लिए कोई कारण बताने में विफल रही है, स्पष्ट रूप से कानून के विपरीत है। यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदक के पति को उक्त मुकदमे को संस्थित करने के बारे में पता नहीं था क्योंकि इसका समन न तो उन तक पहुँचाया गया था और न ही उनके द्वारा कोई अधिवक्ता नियुक्त किया गया था। उनका आगे तर्क यह है कि चूंकि आवेदन में दिए गए कारणों का वादी/अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा खंडन नहीं किया गया था, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में, निचली अदालत को सी.एस. क्रमांक 56-ए/2014 में पारित दिनांक 31.03.2016 के एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को रद्द करने के लिए उक्त आवेदन को खारिज नहीं करना चाहिए था।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. दूसरी ओर, अनावेदक क्रमांक-1/वादी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निचली अदालत द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया है।

4. मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और पूरे रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।

5. रिकॉर्ड के अवलोकन से, यह प्रतीत होता है कि आवेदक के पति, भीखम प्रसाद के खिलाफ वादी द्वारा स्थापित संविदा के विशिष्ट पालन के मुकदमे में दिनांक 31.03.2016 को एकपक्षीय निर्णय और डिक्री पारित की गई थी। उक्त वाद में

आवेदक के पति के विरूद्ध दिनांक 05.11.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा तदनुसार दिनांक 31.03.2016 को एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित की गई।

6. उपरोक्त निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करने के लिए सी.पी.सी. के आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें आवेदक द्वारा यह आधार लिया गया है कि उसके पति को सम्बन्धित गांव के कोटवार द्वारा नामांतरण कार्यवाही प्रारम्भ करने के संबंध में सूचित किया गया था, जो कि नायब तहसीलदार, अहिवारा के न्यायालय में विचाराधीन खसरा क्रमांक- 1206, 1207/3, 1207/6, 1207/7 एवं 1207/9 क्षेत्रफल क्रमशः 0.40, 0.40, 0.10, 0.18 एवं 0.19 हेक्टेयर के सम्बन्ध में उनके स्वामित्व में है। आगे यह भी व्यक्त किया कि उक्त तथ्य जानने के बाद, उसके पति ने 15.10.2018 को संबंधित कागजात की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था और उसके अनुसरण में 22.11.2018 को उसे प्राप्त हुआ इस दौरान उसके पति की 20.10.2018 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। आवेदक का आगे तर्क यह था कि चूंकि उसके पति को संबंधित न्यायालय से कभी कोई नोटिस नहीं मिला था और न ही उन्होंने अपनी ओर से उक्त मुकदमे में पैरवी करने के लिए कभी अपने किसी वकील को नियुक्त किया था, इसलिए, व्यवहारवाद क्रमांक 56-ए/2014 में 31.03.2016 को दिए गए एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को रद्द किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उक्त वाद के अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि संबंधित विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.11.2014 के अपने आदेश के तहत प्रतिवादी भीखम प्रसाद को विशेष आदेशिका वाहक के माध्यम से वाद का समन तामील करने का निर्देश दिया था, तथा मामले की अगली सुनवाई 20.01.2015 के लिए तय की थी। हालांकि, ऐसी कोई तामिली रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं पाई गई, हालांकि उसे एमपी/सीजी

सिविल न्यायालय नियम, 1961 के तहत निर्धारित प्रावधान के आधार पर आदेशिका वाहक द्वारा वापस किया जाना आवश्यक था, एमपी/सीजी सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 23 के तहत तैयार किया गया था। नियम 72 के अनुसार, निम्नलिखित प्रावधान है:-

> 72. (1) प्रत्येक आदेशिका वाहक को तामिली या अदम तामिली के तुरंत बाद तामिली के स्थान पर और गवाहों (यदि कोई हो) की उपस्थिति में अपने हाथ से स्पष्ट रूप से अपनी तामिली या अदम तामिली की रिपोर्ट लिखनी चाहिए और तामिली या अदम तामिली की तारीख, समय और सही स्थान भी बताना चाहिए।
>
> (2) तामिली या अदम तामिली की सभी वापसी तामील या अदम-तामील के तुरंत बाद प्रपत्र (सं. II-4) में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रपत्र के पीछे के स्थान का उपयोग, जहां आवश्यक हो, स्तंभ 4 में प्रविष्टि जारी रखने के लिए किया जा सकता है। आदेशिका वाहक प्रत्येक वापसी को नाजिर या नायब- नाजिर को सौंपने से पहले उसके नीचे हस्ताक्षर करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार, आदेशिका वाहक द्वारा रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखा जाना आवश्यक था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या प्रतिवादी भीखम प्रसाद को मुकदमे के समन की तामील की गई थी या नहीं, जैसा कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.11.2014 के आदेश के तहत निर्देश दिया था। इसके अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता है कि मुकदमे का समन उस पर विधिवत तामील किया गया था, फिर भी उसके खिलाफ विचारण न्यायालय ने दिनांक 05.11.2015 के आदेश के तहत एकपक्षीय कार्यवाही की थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय हमेशा एकपक्षीय कार्यवाही करने में न्यायसंगत होगा यदि उसे विश्वास हो कि प्रतिवादी या विपक्षी पक्ष ने समन की तामील और कार्यवाही के लंबित होने के ज्ञान के बावजूद

अनुपस्थित रहने का विकल्प चुना था, लेकिन एकपक्षीय कार्यवाही करने से पहले न्यायालय को सीपीसी के आदेश 5 के तहत कानूनी आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए जो विपक्षी पक्ष पर समन की तामील के संबंध में पूर्ण संहिता है। इसलिए, प्रत्येक न्यायालय का यह बाध्यकारी कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करे कि समन कानून के अनुसार तामील किए गए थे और समन की तामील के बावजूद पक्ष ने अनुपस्थित रहने का विकल्प चुना था, जो कि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस मामले में पूरी तरह से पालन करना नहीं पाया गया है।

9. यह भी प्रतीत होता है कि यद्यपि 06.04.2015 को विधिवत हस्ताक्षरित वकालतनामा दायर किया गया है, लेकिन, यह उक्त मुकदमे की संख्या का खुलासा किए बिना दायर किया गया पाया गया है। इसके मद्देनजर, यह नहीं कहा जा सकता कि जिस वकील ने कथित वकालतनामा प्रस्तुत किया है, उसे उसकी ओर से मुकदमा लड़ने के लिए उसके द्वारा अधिकृत किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. जैसा भी हो, सीपीसी के आदेश IX नियम 13 के तहत एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को रद्द किया जा सकता है, यदि उसमें दिए गए तत्व पूरे होते हैं। उक्त प्रावधान निम्नलिखित के लिये प्रासंगिक है:-

> **आदेश IX - पक्षों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के परिणाम .....**
>
> xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
>
> **नियम 13. प्रतिवादियों के खिलाफ एकपक्षीय डिक्री को रद्द करना। -** किसी भी मामले में जिसमें प्रतिवादी के खिलाफ एकपक्षीय डिक्री पारित की जाती है, वह उस न्यायालय से इसे रद्द करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकता है जिसके द्वारा डिक्री पारित की गई थी; और यदि वह न्यायालय को संतुष्ट कर देता है कि समन की तामील विधिवत् नहीं की गई थी, या किसी पर्याप्त कारण से वह वाद की सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर उपस्थित होने से रोका गया था, तो न्यायालय उसके विरुद्ध डिक्री को व्यय, न्यायालय में भुगतान या

अन्यथा, जैसा वह उचित समझे, ऐसी शर्तों पर अपास्त करने का आदेश देगा, और वाद पर कार्यवाही के लिए एक दिन नियत करेगा:

परंतु जहां डिक्री ऐसी प्रकृति की हो कि उसे केवल ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध अपास्त नहीं किया जा सकता हो, उसे अन्य सभी या किसी प्रतिवादी के विरुद्ध भी अपास्त किया जा सकता है:

[परंतु और कि यदि किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उसके पास उपस्थित होने और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय रूप से पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में कोई अनियमितता हुई थी ।

[स्पष्टीकरण.- जहां इस नियम के अधीन एकपक्षीय रूप से पारित डिक्री के विरुद्ध अपील की गई है, और अपील का निपटारा किसी अन्य आधार पर नहीं किया गया है, सिवाय इस आधार के कि अपीलकर्ता ने अपील वापस ले ली है, इस नियम के तहत एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं होगा।]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार, न्यायालय एकपक्षीय डिक्री को केवल दो आधारों पर अपास्त कर सकता है, पहला, जब वाद का समन विधिवत तामील नहीं हुआ था और दूसरा, जब वाद में बुलाए जाने पर उसे पर्याप्त कारणों से उपस्थित होने से असमर्थ था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वाद का समन न तो आवेदक के पति-भीखम प्रसाद को विधिवत तामील किया गया था और न ही उसने अपने किसी वकील को अपनी ओर से वाद लड़ने के लिए अधिकृत किया था।

12. इसके अलावा, प्रतिवादी क्रमांक- 1 और 2, जिनके विरुद्ध दिनांक 05.11.2015 के आदेश के तहत विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति के बावजूद, दिनांक 05.03.016 से 31.03.2016 तक

के आदेश पत्रों से यह पता चलता है कि मामले को दोनों पक्षों के अनुरोध पर समय-समय पर स्थगित किया जा रहा था। इतना ही नहीं, सुनवाई के बाद पक्षकारों के मौखिक निवेदन पर मामले को निर्णय सुनाने के लिए नियत पाया गया। इसलिए, मेरे लिए यह आश्चर्य की बात है कि जब प्रतिवादियों के विरुद्ध दिनांक 05.11.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी, तो मामले को इस तरह से कैसे निपटाया जा सकता है। इस प्रकार, मामले को संबंधित पीठासीन अधिकारी (श्री नारायण सिंह) द्वारा अत्यंत लापरवाही से संचालित किया गया पाया गया।

13. जैसा कि हो सकता है, सीपीसी के आदेश IX नियम 13 के तहत शुरु की गई कार्यवाही की सूचना की तामिली के बावजूद अनावेदक उपस्थित होने में विफल रहे हैं और इसलिए, आवेदन में दिए गए कारण, जो कि हलफनामे द्वारा विधिवत् समर्थित है, अनावेदक द्वारा विवादित नहीं किया गया है। इसके मद्देनजर, आवेदक द्वारा किए गए तर्क पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उपरोक्त पृष्ठभूमि के मद्देनजर, निचली अदालत ने 31.03.2016 के एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को अलग करने से इनकार करते हुए उक्त आवेदन को खारिज करने में एक अवैधानिकता की है।

15. परिणामस्वरूप, अपील की स्वीकार की जाती है और व्यवहार वाद क्रमांक-56-ए/14 में 31.03.2016 को दिए गए एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को निरस्त किया जाता है। परिव्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही / -
(संजय एस अग्रवाल)
न्यायाधीश